एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सों में प्रवेश के लिए
राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा – एनईईटी (यूजी) – 2013

सूचना बुलेटिन

परीक्षा की तिथि **05.05.2013**

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, दिल्ली–110092

महत्वपूर्ण

उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना और जानकारी प्राप्त करना अपेक्षित है।

1. उम्मीदवार एनईईटी (यूजी) – 2013 के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. सूचना बुलेटिन वेबसाइट www.cbseneet.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदन फार्म ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.cbseneet.nic.in पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन फार्म प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश सूचना बुलेटिन में और वेबसाइट www.cbseneet.nic.in पर उपलब्ध हैं।
4. उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन में तथा वेबसाइट पर दिए गए अनुदेशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। अनुदेशों का पालन न करने वाले उम्मीदवारों को सरसरी तौर पर अयोग्य कर दिया जाएगा।
5. **उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज अपने संदर्भ के रूप में भविष्य में पत्राचार के लिए अपने पास रखने चाहिए।**

   (i) कम्प्यूटर सर्जित आवेदन फार्म के पुष्टिकरण पृष्ठ के कम से कम चार प्रिंटआउट।

   (ii) आवेदन फार्म भेजने पर पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी मूल रसीद।

   (iii) प्रदत्त शुल्क का प्रमाण

   (iv) ऑनलाइन आवेदन के पुष्टिकरण पृष्ठ पर चिपकाए गए फोटोग्राफ के समान फोटोग्राफ की 7–8 प्रतियां।

6. **(क) ऑनलाइन आवेदन फार्म के पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट भेजने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि:**

   (i) आवेदक ने फार्म में नियत स्थान पर हस्ताक्षर कर दिया है और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप लगा दी है।

   (ii) आवेदन पर माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर हैं।

   (iii) आवेदन को संस्थान के प्रमुख/राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/अधिप्रमाणित कराया गया है।

   (iv) सफेद पृष्ठभूमि वाले दो अच्छी कोटि के एक जैसे रंगीन स्टुडियो फोटोग्राफ (01.11.2012 के बाद लिए गए हों) चिह्नित स्थान पर विधिवत रूप से चिपकाए गए हैं। यह भी सुनिश्चित करे कि दोनों फोटोग्राफ के पीछे आवेदन फार्म संख्या एवं उम्मीदवार का नाम लिख दिया गया है।

   (v) कुरियर द्वारा भेजे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का पुष्टिकरण पृष्ठ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ख) शुल्क निम्नलिखित प्रकार से भेजा जा सकता है:–

(i) क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड द्वारा

(ii) केनरा बैंक अथवा सिंडिकेट बैंक अथवा ई–पोस्ट ऑफिस में सीबीएसई बैंक खाते में जमा करके चालान द्वारा भेजना।

(ग) कृपया दस्तावेज निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित किए जाएं:–

क्र. सं.	**दस्तावेज**
(i)	शुल्क प्रेषण का प्रमाण
(ii)	ऑनलाइन आवेदन का कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ
(iii)	शपथ पत्र (आंध्र प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर के उम्मीदवारों से जिन्होंने 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए विकल्प दिया हो)

(घ) कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ प्रेषित करने के लिए, किसी अच्छे गुणवत्ता के ए5 आकार (12" x 10") के लिफाफे का प्रयोग करें और लिफाफे पर कम्प्यूटर सर्जित बोर्ड पते की पर्ची चिपकाएं।

7. उम्मीदवारों को कॉलेज अथवा संस्थान में प्रवेश लेने तक प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखना चाहिए।

8. ऑनलाइन आवेदन फार्म का कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ केवल पंजीकृत/स्पीड डाक द्वारा निम्न पते पर भेजना चाहिए:–

सहायक सचिव (एनईईटी)
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, दिल्ली–110092

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

1. एनईईटी (यूजी) – 2013 एक बार में आयोजित होगी और यह एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी।
2. उम्मीदवार द्वारा केवल एक आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदन फार्म प्राप्ति की सूचना समय–समय पर वेबसाइट **www.cbseneet.nic.in** पर डाली जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट पर अपने आवेदन की प्राप्ति की स्थिति की जांच कर सकता है और प्रस्तावित कार्रवाई कर सकता है।

4.एनईईटी (यूजी) – 2013 दिनांक 05.05.2013 (रविवार) को आयोजित होगी।

5. परीक्षा केन्द्र, प्रश्न पत्र की भाषा और सीटों का चुनाव सावधानी पूर्वक किया जाए क्योंकि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

6.उम्मीदवार परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र को वेबसाइट **www.cbseneet.nic.in** से डाउनलोड कर सकता है। संगत सूचना भी उपर्युक्त वेबसाइट पर डाली जाएगी।

7.उम्मीदवार परिणाम, स्कोर कार्ड/रैंक पत्र वेबसाइट **www.cbseneet.nic.in** से डाउनलोड कर सकते हैं।

8.अद्यतन जानकारी के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट **www.cbseneet.nic.in** और **www.mohfw.nic.in** के सम्पर्क में रहना चाहिए और काउंसलिंग के अंतिम दौर के समाप्त होने तक नियमित रूप से अपने ई–मेल की जांच करते रहना चाहिए।

विषय सूची

		पृष्ठ सं0
1.	प्रस्तावना	1
2.	संक्षिप्त नाम	2
3.	परिभाषाएं	2
4.	सामान्य अनुदेश	3
5.	परीक्षा का प्रतिमान (पैटर्न)	4
6.	परीक्षा की तिथि	5
7.	परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम	5
8.	परीक्षा के केन्द्र	5
9.	पात्रता एवं योग्यताएं	5–9
10.	राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए अर्हक मापदंड	9
11.	प्रवेश एवं आरक्षण	10–12
12.	पात्रता और अधिवास का राज्य कोड	12
13.	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि और शुल्क का ब्योरा	12–14
14.	आवेदन पत्र/पुष्टिकरण पृष्ठ भरने और भेजने के लिए अनुदेश	15–21
15.	परीक्षा हॉल में अनुपालन के लिए अनुदेश	22–31
16.	मेरिट सूची	31–33
17.	परिणाम की घोषणा	33–34
18.	छंटाई के नियम	34
19.	काउंसलिंग के लिए अनुदेश	34–35

परिशिष्ट –I एनईईटी–यूजी परीक्षा केन्द्रों के शहरों की सूची

परिशिष्ट –II आन्ध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए शपथ पत्र का फार्मेट

परिशिष्ट –III पेशा, योग्यता और आय के कोड की सूची

परिशिष्ट –IV राज्य कोडों की सूची

परिशिष्ट –V विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कोडों की सूची

परिशिष्ट –VI उत्तर पुस्तिका की प्रति का नमूना

परिशिष्ट –VII सुविधा केन्द्रों की सूची

परिशिष्ट –VIII राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालयों की सरकारी वेबसाइट एवं पता

परिशिष्ट –IX चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची

परिशिष्ट –X पाठ्यक्रम

महत्वपूर्ण सूचना एक नजर में

सूचना बुलेटिन

राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (स्नातकपूर्व) – 2013 का सूचना–बुलेटिन

1. प्रस्तावना

भारतीय चिकित्सा परिषद ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से 'स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997' में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए थे जिन्हें भारत के असाधारण राजपत्र में 21 दिसम्बर, 2010 और 15 फरवरी, 2012 को प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने भी केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से 'बीडीएस कोर्स विनियम, 2007' में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए थे जिन्हें भारत के असाधारण राजपत्र में 31 मई, 2012 को प्रकाशित किया गया थाः

क. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो के लिए एक ही पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा होगी जिसका नाम 'राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा' होगा।

ख. किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष हेतु एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होने के प्रयोजनार्थ किसी उम्मीदवार के लिए पात्रता परीक्षा में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंक प्राप्त करने के अलावा उक्त शैक्षणिक वर्ष में आयोजित **राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा** में न्यूनतम अंक प्राप्त करने भी आवश्यक होंगे।

ग. संबंधित श्रेणियों के लिए चिकित्सा/दंत कॉलेजों में सीटों का आरक्षण राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विद्यमान लागू विधियों के अनुसार होगा। राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की एक अखिल भारतीय मेरिट सूची तथा राज्यवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा उम्मीदवार को एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश केवल उक्त सूचियों से ही दिया जाएगा।

घ. किसी भी ऐसे उम्मीदवार को, जो भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में असफल रहा है, उक्त शैक्षणिक वर्ष में एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

ड. एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत सभी प्रवेश पूर्णतःराष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होंगे।

च. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला संगठन होगा।

तदनुसार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली सत्र 2013–14 में एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए 5 मई, 2013 को पहली राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिम्मेदारी प्रवेश परीक्षा संचालित करने, परिणाम घोषित करने तथा काउंसलिंग प्राधिकारियों को मेरिट सूची उपलब्ध कराने तक ही सीमित है।

2. संक्षिप्त नाम

इन नियमों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) नियम कहा जाएगा।

3. परिभाषाएं

i. **''सरकार''** का आशय भारत सरकार से है।

ii. **''राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार''** का आशय किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से है जो भारत संघ को संघटित करती है।

iii. **''मंत्रालय''** का आशय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से है।

iv. **''डीजीएचएस''** का आशय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हैल्थ सर्विस, नई दिल्ली से है।

v. **''बोर्ड''** का आशय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से है।

vi. **''प्रतियोगी परीक्षा एवं एनईईटी''** का आशय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा– स्नातक पूर्व से है।

vii. **''अर्हक परीक्षा''** का आशय उस परीक्षा से है जिसके परिणाम के आधार पर उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने का पात्र बनेगा''।

viii. **''नियम''** का आशय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ–साथ भारतीय चिकित्सा परिषद के निर्देशों के तहत इस परीक्षा के आयोजन हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों से है।

ix. **''अनु. जाति''** का आशय भारत सरकार अथवा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट और निर्धारित अनु. जातियों से है।

x. **''अनु. जनजाति''** का आशय भारत सरकार अथवा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट और निर्धारित अनु. जनजातियों से है।

xi. **''अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)''** का आशय भारत सरकार अथवा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट और निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग से है।

xii. **''विकलांग''** का आशय भारत सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट और निर्धारित विकलांग व्यक्ति से है।

xiii. **''परिषद''** का आशय भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद से है।

xiv. **''पात्र उम्मीदवार''** का आशय ऐसा उम्मीदवार जो एम.सी.आई. और डी.सी.आई. द्वारा निर्धारित पात्रता की अपेक्षा को पूरा करता हो।

4. सामान्य अनुदेश

क) राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (स्नातकपूर्व) को भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद और भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों और विनियमों द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

ख) एनईईटी में भाग लेना किसी उम्मीदवार को एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और बीडीएस कोर्स विनियम, 2007 के अनुसार एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स संचालित करने के लिए मान्यताप्राप्त किसी चिकित्सा संस्था में एमबीबीएस/बीडीएस सीटों के लिए चयन और प्रवेश, प्रवेश मानदण्डों, पात्रता, चिकित्सा स्वस्थता और ऐसे अन्य मानदण्डों की पूर्ति के अध्यधीन होगा, जो संबंधित विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थाओं द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

ग) असत्य अथवा जाली सूचना प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों को सीबीएसई द्वारा भविष्य में संचालित की जाने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से विवर्जित कर दिया जाएगा।

घ) अधूरे आवेदनों अथवा अनुदेशों के अनुरूप प्रस्तुत न किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे अस्वीकृत किए जाने के लिए दायी होंगे। ऐसे मामलों में जमा कराए गए परीक्षा शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा।

ड.) शुल्क को किसी भी परिस्थिति में न तो भविष्य में होने वाली परीक्षा के लिए आगे ले जाया जाएगा और न ही लौटाया जाएगा। नियत तारीख के पश्चात प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदनों और/अथवा उनके प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में परीक्षा शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदनों को वापस नहीं लिया जा सकता है।

च) सीबीएसई द्वारा समय–समय पर लिए जाने वाले निर्णयों के आधार पर सूचना बुलेटिन में निहित अनुदेशों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसी कोई साम्या(इक्विटी) अथवा ऐसे अधिकार नहीं हैं जो उम्मीदवारों के पक्ष में उत्पन्न हो सकते हैं और/अथवा उत्पन्न होने वाले माने जा सकते हैं।

छ) सीबीएसई के पास किसी ऐसे उम्मीदवार को अनजाने में दी गई अनुमति को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है, जो एनईईटी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, भले ही उसे बोर्ड द्वारा रोल नम्बर और प्रवेश–पत्र भी जारी क्यों न कर दिया गया हो।

ज) उम्मीदवार की पात्रता पूर्णतः अनंतिम है तथा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों की पूर्ति के अध्यधीन है।

झ) पात्रता निर्धारण/परीक्षा संचालन/उम्मीदवारों के पंजीकरण/इसमें अंतर्निहित सूचना के सबंध में किसी भी अनुदेश/निबंधन/नियम/मानदण्ड के निर्वचन में अस्पष्टता होने की स्थिति में सीबीएसई का निर्वचन अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5. एनईईटी 2013 का पैटर्न

(i) प्रवेश परीक्षा का पैटर्नः

प्रवेश परीक्षा में एक पेपर होगा जिसमें **भौतिकी, रसायन–विज्ञान और जीव–विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान)** से 180 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अंतर्निहित होंगे (एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प) जिनका उत्तर केवल बॉल–प्वाइंट पेन का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से तैयार की गई मशीन–ग्रेडेबल शीट पर देना होगा।

पेपर की अवधि 03 घंटे की होगी।

(ii) प्रश्न–पत्रों की भाषाः

- सभी उम्मीदवार प्रश्न–पत्र या तो **अंग्रेजी** में या **हिंदी** में चुन सकते हैं।
- 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा सीटों के अंतर्गत और एएफएमसी में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केवल अंग्रेजी अथवा हिंदी में ही देनी चाहिए।
- ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने **आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल** के राज्य बोर्डों से अपनी कक्षा–बारह अथवा समकक्ष पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है/परीक्षा में बैठ रहे हैं, और जो केवल राज्य कोटा के अंतर्गत संबंधित राज्य में स्थित संस्थाओं में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे प्रश्न–पत्र के लिए अपनी संबंधित क्षेत्रीय भाषा अर्थात **तेलुगू, असमिया, गुजराती, मराठी, तमिल और बांग्ला** का विकल्प दे सकते हैं।
- एक से अधिक राज्यों की राज्य कोटा सीटों के अंतर्गत प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केवल अंग्रेजी अथवा हिंदी में ही देनी चाहिए।
- अंग्रेजी का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को प्रश्न–पुस्तिका केवल अंग्रेजी में तथा अन्य भाषाओं का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को प्रश्न–पुस्तिका **उम्मीदवार के विकल्प के अनुसार चुनी गई भाषा में अनुवाद के साथ अंग्रेजी में** उपलब्ध कराई जाएगी।
- क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्न–पत्र के लिए विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित 'केन्द्र शहरों' को ही चुनना चाहिए।
- आवेदन प्रपत्र भरते समय प्रश्न–पत्र के विकल्प का प्रयोग करना चाहिए तथा उम्मीदवार द्वारा एक बार दिए गए विकल्प में बाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

6. परीक्षा की तिथि

राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)–यूजी, 2013 दिनांक 5 मई, 2013 को 10.00पूर्वा0 से 1.00 अप0 तक आयोजित की जाएगी । **(पेपर की अवधि 3 घंटे होगी)**

सारणी अपरिवर्तित रहेगी चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी जाए।

7. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अधिसूचित एक सामान्य पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। कृपया ब्योरे के लिए **परिशिष्ट–X** देखें।

8. परीक्षा के लिए केन्द्र

(i) उन शहरों की सूचियां जहां एनईईटी (यूजी)–2013 आयोजित की जाएगी **परिशिष्ट I** में दी गई है।

(ii) उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के लिए **तीन सुविधाजनक शहर कोडों का चयन परिशिष्ट–I** से करना चाहिए।

(iii) यद्यपि उम्मीदवार द्वारा चुने गए स्थानों में से केन्द्र आबंटित करने का प्रयास किया जाएगा, फिर भी, उम्मीदवार की पसंद के अलावा केन्द्र आबंटित करने का विवेक बोर्ड को है।

(iv) केन्द्र का आबंटन कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है और कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। **आवेदन पत्र में भरे गए केन्द्र शहरों की पसंद में परिवर्तन बोर्ड द्वारा किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।**

9. पात्रता एवं योग्यताएं

9.1 भारतीय नागरिक एवं भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी–यूजी) में शामिल होने के पात्र हैं।

9.2 **अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए पात्रता**

(i) वह प्रवेश के समय 17 वर्ष आयु पूरी कर चुका/चुकी हो अथवा प्रथम वर्ष एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में उसके प्रवेश के वर्ष के 31 दिसम्बर को या उससे पहले आयु पूरी कर लेगा/लेगी और भारतीय नागरिक हो।

(ii) 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा सीटों के तहत प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा प्रवेश परीक्षा के वर्ष के 31 दिसम्बर को 25 वर्ष है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इस ऊपरी आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष की छूट दी जाएगी। उम्मीदवार का जन्म निम्नलिखित तिथियों को होना चाहिए:

(क) 01.01.84 से 01.01.97 (अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व श्रेणी)

(ख) 01.01.89 से 01.01.97 (अन्य श्रेणी)

9.3 राज्य कोटा सीटों के लिए पात्रता

(i) वह प्रवेश के समय 17 वर्ष आयु पूरी कर चुका/चुकी हो अथवा प्रथम वर्ष एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में उसके प्रवेश के वर्ष के 31 दिसम्बर को या उससे पहले आयु पूरी कर लेगा/लेगी और भारतीय नागरिक हो।

(ii) भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) मेडिकल/डेन्टल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए पात्र संबंधित राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियमों के अध्यधीन है।

9.4 आन्ध्र प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर के उम्मीदवार

(i) आन्ध्र प्रदेश/जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के छात्र 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि इन राज्यों ने अखिल भारतीय योजना को इसके आरंभ से ही नहीं चुना था। यदि वे पात्रता का दावा करते हैं तो उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत शपथ ली हो और उनके द्वारा अनुप्रमाणित रु0 10/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर **परिशिष्ट–IV** में दिए गए प्रपत्र अनुसार एक शपथ पत्र मूल रूप से इस आशय के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि :

क) वे आन्ध्र प्रदेश/जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में मेडिकल/डेन्टल कालेजों में एमबीबीएस/बीडीएस सीटों के लिए प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

ख) वे आन्ध्र प्रदेश/ जम्मू एवं कश्मीर में अधिवासी नहीं है।

(ii) आंध्र प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के छात्र आंध्र प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में मेडिकल/डेन्टल कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस सीटों के लिए 100 प्रतिशत सीटों के लिए यद्यपि पात्र हैं।

(iii) आवेदनों को जिनके साथ **परिशिष्ट– II** में दिए गए फार्मेट अनुसार अपेक्षित शपथ पत्र न होने पर अथवा अधूरा, अनुप्रमाणन रहित शपथ पत्र होने, अथवा शपथ पत्र की फोटोकापी लगाने पर बिना किसी आगे संदर्भ के सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और असत्य पाये जाने पर ऐसे सभी उम्मीदवारों के प्रवेश रद्द कर दिए जाएंगे और उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही आरंभ की जाएगी।

9.5 योग्यताएं और अर्हक परीक्षा कोड :

कोड : 01

ऐसा उम्मीदवार जो अर्हक परीक्षा अर्थात 12वीं में 2013 में शामिल हो रहा है, जिसका परिणाम प्रतीक्षित है, आवेदन कर सकता है और उपर्युक्त परीक्षा दे सकता है किंतु वह एमबीबीएस अथवा बीडीएस में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि वह काउंसलिंग के प्रथम दौर के समय अंकों की अपेक्षित प्रतिशतता के साथ अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता/करती है।

अथवा

कोड : 02

12 वर्षीय अध्ययन की अवधि के बाद उच्चतर/वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा अथवा भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा जो 10+2 उच्चतर/वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष हो, इस अध्ययन के अंतिम दो वर्षों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी (इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षण भी शामिल होंगे) और गणित अथवा कोई अन्य वैकल्पिक विषय अंग्रेजी के साथ जो अंग्रेजी के लिए कोर कोर्स से कम स्तर का नहीं हो जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संस्तुति अनुसार 10+2+3 शिक्षा ढांचा के लागू होने के बाद भारतीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित है।

टिप्पणी : जहां राष्ट्रीय समिति के 10+2 शिक्षा ढांचा के लिए निर्धारित अनुसार कोर्स सार नहीं हो, उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से पहले एक वर्षीय अवधि का प्री–व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

अथवा

कोड :3

भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय की भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी (इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षण शामिल होगा) और अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में सहित विज्ञान में प्री–डिग्री परीक्षा/इन्टरमीडियट

अथवा

कोड : 4

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा प्री–यूनिवर्सिटी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी के साथ प्री–प्रोफेशनल/प्री–मेडिकल परीक्षा। प्री–प्रोफेशनल/प्री–मेडिकल परीक्षा में इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षण और अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में भी शामिल होंगे।

अथवा

कोड : 5

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स का प्रथम वर्ष भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी तथा इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षण शामिल है बशर्ते कि परीक्षा एक विश्वविद्यालय परीक्षा हो और उम्मीदवार ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी एक कोर कोर्स से कम स्तर का न हो के साथ पूर्व अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

कोड : 6

भारतीय विश्वविद्यालय की बीएससी परीक्षा बशर्ते कि उसने बीएससी परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान प्राणी विज्ञान)/जैव–प्रौद्योगिकी विषयों में से कम से कम दो के साथ उत्तीर्ण की हो और इसके अलावा उसने पूर्व अर्हक परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

कोड : 7

अन्य कोई परीक्षा जो विस्तार और स्तर में (10+2 अध्ययन के अंतिम दो वर्षों में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी शामिल है; इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षण शामिल होंगे।) भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड इन्टरमीडियट विज्ञान परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी लेकर जिसमें इन प्रत्येक विषयों में प्रायोगिक परीक्षा तथा अंग्रेजी शामिल है, के समकक्ष होना पाई जाती है।

बशर्ते की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को ऊपर बताई गई कोई भी अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए अथवा 2013 में अर्हक परीक्षा में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी विषयों में अलग–अलग उत्तीर्ण होना होगा और अर्हक परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी में एक साथ न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए जैसा कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा 1997 की नियमावली 4 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट है और साथ ही एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की मेरिट सूची में आना चाहिए।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी में प्राप्त अंक अर्हक परीक्षा में एक साथ सामान्य उम्मीदवार के लिए 50% के बजाय 40% अंक हो। इसके अलावा निचले अंकों की गतिक अशक्ता वाले व्यक्तियों के लिए सामान्य–शा.वि. के लिए न्यूनतम 45% और अ.ज.–शा.वि. /अ.ज.जा–शा.वि./अ.पि.व.–शा.वि. के लिए न्यूनतम 40% अंक अपेक्षित हैं।

परन्तु यह कि भारत में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विदेश में शिक्षित भारतीय राष्ट्रीयता के छात्रों को 12वीं कक्षा तक भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी तथा अंग्रेजी विषय 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और उनकी समकक्षता भारतीय चिकित्सा परिषद और संबंधित विश्वविद्यालय की नियमावली के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार कोड सं0 01–07 के अनुसार निर्धारित योग्यताओं के तहत नहीं आता है, उसे पात्रता का निर्धारण करने के लिए पूरा ब्योरा प्रस्तुत करना चाहिए।

टिप्पणी :

- प्री–मेडिकल कोर्स मेडिकल कॉलेज में अथवा साईंस कॉलेज में आयोजित किया जा सकता है।
- 10+2 कोर्स लागू होने के बाद एकीकृत कोर्स समाप्त किया जाए।
- गणित में प्राप्त अंकों पर एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए विचार नहीं करना है।
- 15% अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों पर राज्य पात्रता/मापदंड लागू नहीं होगा।

10. राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा के लिए अर्हक मानदण्ड

(क) किसी विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश हेतु पात्र बनने के प्रयोजनार्थ किसी उम्मीदवार के लिए उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित 'राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा' में न्यूनतम 50 शतमक के अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, न्यूनतम अंक 40 शतमक होंगे। निचले अंगों की गतिक–निःशक्तता वाले सामान्य उम्मीदवारों के मामले में, न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होंगे। शतमक का निर्धारण 'एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा' में अखिल भारतीय सामान्य मेरिट सूची में प्राप्त किए गए उच्चतम अंकों के आधार पर किया जाएगा।

परंतु जहां किसी शैक्षणिक वर्ष में एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा में संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार यथानिर्दिष्ट न्यूनतम अंक हासिल करने में असफल रहते हैं, केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के साथ परामर्श करके अपने विवेक के अनुसार संबंधित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों को कम कर सकती है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक केवल उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(ख) जो उम्मीदवार उपर्युक्तानुसार न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं, वे एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

11. प्रवेश एवं आरक्षण

अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अखिल भारतीय मेरिट सूची और राज्यवार सूची तैयार की जाएगी और पहले से विद्यमान आरक्षण नीति का अनुसरण करते हुए कथित सूची से उम्मीदवारों को एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश दिया जाएगा।

संबंधित श्रेणियों के अंदर एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में सभी प्रवेश केवल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिए जाएंगे।

11.1 15% अखिल भारतीय कोटा के तहत सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण :

(क) 15% सीटें अ.जा. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) 7.5% सीटें अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) 27% सीटें गैर–नवोन्नत अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश दिनांक 10.04.2008 के अनुसार केवल केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षित हैं। अ.पि.व. की केन्द्रीय सूची में दर्शाई गई जातियों के लिए आरक्षण लागू होगा। इस प्रकार, इस सूची में आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में श्रेणी कॉलम में अ.पि.व दर्शाना है। **नवोन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) के और अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में न आने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी सामान्य दर्शाने की सलाह दी जाती है।**

(घ) 15% अखिल भारतीय यूजी कोटा सीट में 3% सीटें विकलांग उम्मीदवारों (50% से 70% के बीच केवल निचले अंगों की गतिक निशक्तताओं के लिए बशर्ते कि यदि 50% से 70% के बीच केवल निचले अंगों की गतिक निशक्तता वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण इस 3% कोटा में यदि कोई सीट खाली रहती है तब इस 3% कोटा में ऐसे खाली सीट को संबंधित श्रेणी की सीटों में शामिल करने से पहले 40% से 50% के बीच निचले अंगों की गतिक निशक्तता वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा) के लिए समस्तर आधार पर आरक्षित है। इस संबंध में विस्तृत सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध है। इस श्रेणी के लिए स्वयं को पात्र समझने वाले उम्मीदवारों को किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/जिला अस्पताल/सरकारी अस्पताल में स्वंय की जांच करवाकर अपनी पात्रता सुनिश्चित करने की

सलाह दी जाती है। तथापि, उम्मीदवार यह भी ध्यान दें कि पीएच (विकलांग) श्रेणी के तहत चयन के मामले में उन्हें अपनी काउंसलिंग की नियत तिथि से पहले नीचे दर्शाए गए चार महानगरों में गठित किसी एक निशक्तता निर्धारण बोर्डों से निशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगाः

(i) वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय एवं सफदरजंग अस्पताल, अंसारी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली–110029 (दूरभाष : 011–26190763 तथा 26163072)

(ii) अखिल भारतीय प्राकृतिक औषध एवं पुनर्वास संस्थान, हाजी अली पार्क, के.खड्या मार्ग, महालक्ष्मी, मुम्बई–400034 (दूरभाष : 022–23544341)

(iii) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 244, आचार्य जे सी बोस मार्ग, कोलकाता–20 (दूरभाष : 033–22235181)

(iv) मद्रास चिकित्सा महाविद्यालय, पार्क टाउन, चेन्नै –600003 (दूरभाष : 044–25305301)

आरक्षण 2200 पाईंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। आरक्षण के कार्यान्वयन की विधि डीजीएचएस की वेबसाइट www.mohtw.nic.in पर उपलब्ध होगी।

11.2 सरकार द्वारा वित्त–पोषित संस्थाओं/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों आदि के साथ संबद्ध मेडिकल अथवा डेन्टल कॉलेजों में प्रवेश तथा सीटों का आरक्षण।

सरकार द्वारा वित्त–पोषित संस्थाओं/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों आदि के साथ संबद्ध मेडिकल अथवा डेन्टल कॉलेजों में प्रवेश विद्यमान आरक्षण नीतियों तथा संबंधित संस्था/विश्वविद्यालय के लिए लागू प्रवेश के नियमों के अध्यधीन होगा।

11.3 राज्य कोटा के अंतर्गत चिकित्सा कॉलेजों तथा प्राइवेट चिकित्सा कॉलेजों में सीटों का आरक्षणः

(क) सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में 85 प्रतिशत राज्य कोटा के अंतर्गत प्रवेश आरक्षण नीति तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में विद्यमान पात्रता मानदण्डों के अध्यधीन होगा जैसाकि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया है।

(ख) संबंधित श्रेणियों के लिए चिकित्सा कॉलेजों में सीटों का आरक्षण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान यथालागू विधियों के अनुसार होगा।

(ग) प्राइवेट चिकित्सा कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की नीतियों के अध्यधीन होगा।

11.4 एएफएमसी, पुणे में प्रवेश

सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज, पुणे में प्रवेश सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिमानकों के अध्यधीन होगा। एनईईटी–यूजी में पात्रता हासिल करने वाले और एएफएमसी में प्रवेश के लिए विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को एएफएमसी द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय चरण की स्क्रीनिंग में शामिल होना होगा। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे अधिक जानकारी के लिए एएफएमसी से संपर्क करें।

- **उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे पात्रता मानदण्ड तथा प्रवेश के संबंध में अन्य विवरणों के लिए राज्य/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के संबंधित प्राधिकारियों से अग्रिम तौर पर संपर्क कर लें/उनकी वेबसाइटों का अवलोकन करें।**

12. पात्रता का राज्य कोड और अधिवास

(क) राज्य कोडों की सूची **परिशिष्ट–IV** पर दी गई है, उम्मीदवार किसी भी राज्य में राज्य कोटा के अंतर्गत सीटों का दावा करने के लिए अपनी पात्रता के आधार पर राज्य कोड चुन सकते हैं। 85 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों के लिए मेरिट सूची में उम्मीदवार की रैंक उम्मीदवार द्वारा आवेदन–प्रपत्र में भरी गई पात्रता के राज्य कोड के आधार पर सृजित की जाएगी।

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिवास के संबंध में बनाए गए दिशा–निर्देश और नियम उनके नियंत्रण और निपटान के अधीन सीटों के संबंध में लागू होंगे।

13. आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करने का तरीका और शुल्क विवरण

उम्मीदवार **राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)** के लिए आवेदन www.cbseneet.nic.in पर लॉग–इन करके **केवल ऑनलाइन** ही प्रस्तुत कर सकता है।

आवेदन–प्रपत्र को प्रस्तुत करने से पूर्व, निम्नलिखित तैयारियां कर ली जानी चाहिएः

- **शुल्क के भुगतान के तरीके का निर्णय लें।**
  - ऑनलाइन गेटवे भुगतान सुविधा का प्रयोग करते हुए डेबिट/क्रेडिट कार्ड के प्रयोग के माध्यम से, अथवा
  - वेबसाइट www.cbseneet.nic.in से चालान फार्म डाउनलोड करके शुल्क को केनरा बैंक या सिंडिकेट बैंक के साथ सीबीएसई के खाते में सीधे जमा करने या डाकघर के साथ सीबीएसई खाते में जमा करने के माध्यम से।

(क) यदि शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है, तो कार्ड की वैधता की जांच कर लें तथा आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करने के लिए वेबसाइट को लॉग–इन करते समय इसे अपने पास तैयार रखें।

(ख) यदि शुल्क का भुगतान ऑफ–लाइन तरीके से करने का निर्णय लिया गया है, तो पंजीकरण का भाग – । पूरा करने के पश्चात वेबसाइट www.cbseneet.nic.in से डाउनलोड किए गए चालान/जमा पर्ची के माध्यम से शुल्क जमा करने के लिए बैंक या ई–डाकघर का चयन करें।

(ग) बैंक/ई–डाकघर में शुल्क जमा कराने के पश्चात, आवेदन प्रपत्र के भाग–।। को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के लिए वेबसाइट को लॉग–इन करते समय आवेदक पंजीकरण संख्या, उस बैंक शाखा, जहां पर शुल्क जमा कराया गया है, के नाम और पते, शाखा कोड/पिनकोड के साथ डाकघर का नाम और ट्रांजेक्शन आईडी संख्या के विवरण वाली जमा–पर्ची को अपने पास तैयार रखें।

(घ) शुल्क के विवरण तथा आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख निम्नानुसार है:

	विलंब शुल्क के बिना शुल्क	**विलंब शुल्क के साथ शुल्क**
अवधि	**01.12.2012 से 31.12.2012**	**01.01.2013 से 31.01.2013**
सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए	रु0 1,000/–	रु0 2,000/– (1,000 रु0 + 1,000 रु0)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए	रु0 550/–	रु0 1,550/– (500 रु0 + 1,000 रु0)
सीबीएसई में आवेदन प्रपत्र का पुष्टिकरण पेज प्राप्त होने की अंतिम तारीख	**10.01.2013**	**05.02.2013**

टिप्पणी:

- परीक्षा शुल्क के अलावा, उम्मीदवार को डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/चालान के माध्यम से शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए यथालागू सेवा कर सहित सेवा/प्रक्रमण प्रभारों का भुगतान भी करना होगा। इसका विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आवेदन शुल्क की वापसी के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदनों में भरी जाने वाली अपेक्षित जानकारी भी तैयार रखी जानी चाहिए।

आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की पद्धति :

- वेबसाइट www.cbseneet.nic.in पर लॉगआन करें ।
- "Apply on line" लिंक पर जाएं और उसे खोलें।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश एवं प्रक्रिया ध्यानपूर्वक पढें। इस पृष्ठ के अंत में ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित तीन लिंक दिए गए हैं:

  (क) ऑनलाइन आवेदन पत्र भाग–1 भरें और पंजीकरण संख्या लिखें।

  (ख) शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा डाउनलोड चालान द्वारा केनरा बैंक/सिंडिकेट बैंक/ई–पोस्ट आफिस के पदनामित खाते में जमा करके करें।

  (ग) जमा किए गए शुल्क का विवरण देते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भाग–II भरें।

  (घ) पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट लें और सीबीएसई को चालान के माध्यम से जमा कराए गए शुल्क के प्रमाण की प्रति के साथ भेजें यदि शुल्क चालान विधि के द्वार जमा किया गया हो।

- प्रथम लिंक को खोलें, सूचनाओं का सावधानीपूर्वक अनुसरण करें और सूचना प्रस्तुत करें। इस पृष्ठ के अंत में दो लिंक "Next" और "Reset" दिए गए हैं। यदि आप संतुष्ट है कि भरी गई सूचना सही है तब "Next" क्लिक करें अन्यथा "Reset" पर क्लिक करें। "Next" खोलने बाद प्रस्तुत सूचना की जांच की जा सकती है और यदि सूचना सही है तो "Finalsubmit" के लिए जाएं अन्यथा "Back" के लिए जाएं।
- डेटा की अंतिम प्रस्तुति के बाद, प्रोग्राम आपको स्वतः शुल्क भुगतान के लिए दूसरे लिंक के लिए ले जाएगा।
- अनुदेश का पालन करें और शुल्क जमा करें। शुल्क सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट लेने के लिए प्रोग्राम आपको तीसरे लिंक पर ले जाएगा।
- पुष्ठिकरण पृष्ठ और सीबीएसई के पते की पता पर्ची का प्रिंट लेने के लिए अनुदेशों का पालन करें। सीबीएसई को पूर्ण आवेदन पत्र भेजने के लिए पता पर्ची ए5 (12'' X 10'') लिफाफे पर चिपकानी है।कृपया सुनिश्चित करें कि पुष्टिकरण पृष्ठ की कम से कम चार प्रतियां और पता पर्ची की एक प्रति प्रिंट की जाए। पुष्टिकरण पृष्ठ की तीन प्रतियां उम्मीदवार द्वारा भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। पुष्टिकरण पृष्ठ की एक प्रति बोर्ड को भेजने के लिए अनुदेशों के अनुसार पूरी की जाएगी।

उम्मीदवार द्वारा इस पुष्टिकरण पृष्ठ की फोटोकापी भुगतान किए गए शुल्क के प्रमाण और डाक घर द्वारा जारी मूल रसीद के साथ सुरक्षित रखी जाए।

- आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति, शुल्क के भुगतान और पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट लेने के लिए सभी तीन लिंकों का अलग से भी प्रयोग किया जा सकता है।
- सीबीएसई ने आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत करने की सुविधा भी प्रदान की है। इस उद्देश्य के लिए उम्मीदवार को वास्तविक/परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के रूप में रु0 1000/– का भुगतान करना आवश्यक है। विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र की प्रस्तुति भी ऑनलाइन ही करनी है। आवेदन भेजने की प्रक्रिया उसी तरह होगी जैसा कि बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन पत्र भेजने के मामले है। विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी, कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट भेजने के लिए अंतिम तिथि निश्चित की गई है। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि शुल्क के भुगतान के प्रमाण के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र का पुष्टिकरण पृष्ठ सीबीएसई में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, शुल्क का भुगतान करने और कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ के प्रिंटिंग की सुविधा प्रत्येक स्लॉट के अंतिम दिवस को 05.00 अप. बजे बंद कर दी जाएगी। अतः उम्मीदवारों को एक बार में अथवा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।
- **नियत तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद भी, यदि कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले बोर्ड को प्राप्त नहीं होता अथवा बिना अपेक्षित शुल्क के प्राप्त होता है, उम्मीदवार का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा।**
- उम्मीदवार आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति की प्रौद्योगिकी से भलीभांति परिचित हैं और बिना किसी सहायता के वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने में सक्षम है। यदि, किसी उम्मीदवार को कोई समस्या है, ऐसे उम्मीदवार सीबीएसई द्वारा कुछ विद्यालयों/संस्थाओं में निर्धारित **सुविधा केन्द्रों** में जा सकते हैं। सुविधा केन्द्रों की सेवाएं निशुल्क हैं और केवल कार्यदिवस में उपलब्ध है। सुविधा केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट –VII** में उपलब्ध है।

14. आवेदन पत्र/पुष्टिकरण पृष्ठ पूरा करने और भेजने के लिए अनुदेश

(i) उम्मीदवार को आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पहले परीक्षा में शामिल होने की अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन सावधानी पूर्वक पढ़ना और आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के संबंध में सभी अपेक्षाओं से स्वयं को परिचित करना अपेक्षित है।

(ii) आवेदन पत्र **केवल अंग्रेजी** में ही भरा जा सकता है।

(iii) उम्मीदवार को आगे पत्राचार के लिए पिन कोड सहित अपना पूरा डाक पता और ई–मेल पता भरना चाहिए।

(iv) उम्मीदवार का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि उसने आवेदन पत्र में अपना सही डाक पता और ई–मेल पता भरा है। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा दिया गया पता ऐसा हो जिस पर उम्मीदवार काउंसलिंग समाप्त होने तक पत्राचार प्राप्त कर सकें। **आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए गलत पते के लिए अथवा मार्ग में क्षति के लिए बोर्ड को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।** उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में कोचिंग सेन्टर का पता नहीं देना चाहिए।

(v) उम्मीदवारों को उत्तीर्ण अर्हक परीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए कॉलम में कोड संख्या भरनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार कोड संख्या 02 से 07 के अनुसार निर्धारित अर्हताओं के तहत नहीं आता है, उसे पूरा ब्योरा प्रस्तुत करना चाहिए और अर्हक परीक्षा कोड 01 भरना चाहिए।

वर्ष 2013 में 12वीं कक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अर्हक कोड 01 भरना चाहिए।

सीबीएसई का पता

(vi) विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन पत्र अन्य दस्तावेजों के साथ यदि कोई हो, केवल पंजीकृत डाक/स्पीड डाक द्वारा **सहायक सचिव (एनईईटी यूनिट), केमाशिबो, शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली–110301** को भेजा जाना चाहिए ताकि भुगतान किए गए शुल्क के अनुसार आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निश्चित रूप से पहुंच जाएं। **किसी भी स्थिति में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किए जाएंगे।**

परीक्षा के आयोजन के संबंध में सभी अन्य पत्राचार भी इस पते पर किए जाएंगे।

(vii) उम्मीदवार को आवेदन पत्र कोरियर सेवा के माध्यम से नहीं भेजना चाहिए। यदि, कोरियर द्वारा भेजा गया आवेदन मार्ग में गुम हो जाता है तो उम्मीदवारी पर विचार करने के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(viii)**महत्वपूर्ण वेबसाइट**

(क) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के लिए बोर्ड की सरकारी वेबसाइट www.cbseneet.nic.in है। परीक्षा संबंधी सभी सूचना इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

(ख) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं की सरकारी वेबसाइट www.mohfw,.nic.in है। 15 प्रतिशत अखिल भारतीय सीटों के तहत काउंसलिंग संबंधी सभी सूचना इस वेबसाइट पर उपलबध होगी।

(ग) राज्य सरकार निदेशालयों की सरकारी वेबसाइट और पते परिशिष्ट– VIII में है। 85 प्रतिशत राज्य कोटा/मेडिकल कॉलेज कोटा सीटों के तहत काउंसलिंग संबंधित सूचना उन वेबसाइटों पर उपलब्ध होगी।

(ix) **पुष्टिकरण पृष्ठ भेजने की विधि**

पुष्टिकरण पृष्ठ और बोर्ड के पते की पता पर्ची का प्रिंट लेने के लिए अनुदेशों का पालन करें। सीबीएसई को पूर्ण आवेदन पत्र भेजने के लिए ए5 लिफाफे पर पता पर्ची चिपकानी है। सुनिश्चित करें कि पुष्टिकरण पृष्ठ की कम से कम चार प्रतियों और पता पर्ची की एक प्रति का प्रिंटआउट लिया जाता है। पुष्टिकरण पृष्ठ की तीन प्रतियां उम्मीदवार द्वारा भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। पुष्टिकरण पृष्ठ की एक प्रति बोर्ड को भेजने के लिए अनुदेशों के अनुसार पूरी की जाएगी। **उम्मीदवार द्वारा इस पुष्टिकरण पृष्ठ की फोटोकापी, भुगतान किए गए शुल्क के प्रमाण और डाक घर द्वारा जारी मूल रसीद के साथ सुरक्षित रखी जाए।** उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि आवेदन पर तथा पता पर्ची पर छपी आवेदन संख्या एक जैसी है।

(x) **आवेदन पत्र के प्राप्ति की अंतिम तिथि**
आवेदन पत्र के प्राप्ति की अंतिम तिथि इस प्रकार है :

	बिना विलम्ब शुल्क के शुल्क	**विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क**
अवधि	01.12.2012 से 31.12.2012	01.01.2013 से 31.01.2013
सीबीएसई में आवेदन पत्र के पुष्टिकरण पृष्ठ की प्राप्ति की अंतिम तिथि	10.01.2013	5.02.2013
*सुदूर क्षेत्रों से सीबीएसई में आवेदन पत्र के पुष्टिकरण पृष्ठ की प्राप्ति करने की अंतिम तिथि	20.01.2013	कोई रियायत अवधि नहीं, अतः अंतिम तिथि 05. 02.2013 रहेगी।

*सुदूर क्षेत्र है : **मिजोरम, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी सब डिविजन तथा लाहौल और स्पीती जिले, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप।**

(xi) उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/बोर्ड के उच्च विद्यालय प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार अपना नाम, माता का नाम और पिता का नाम भरना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में निम्नलिखित चुनेः

- राष्ट्रीयता
- शपथ पत्र **परिशिष्ट–II**
- लिंग
- श्रेणी
- पिता/माता/अभिभावक का पेशा **परिशिष्ट – III**
- पिता/माता/अभिभावक की शैक्षिक योग्यताएं **परिशिष्ट – III**
- पिता/माता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय **परिशिष्ट – III**
- प्रश्न पत्र की भाषा
- क्या आप अपने माता–पिता की एकमात्र संतान हैं

  (यदि आप अपने माता–पिता की एक मात्र संतान हैं और अन्य कोई भाई–बहन नहीं है तो इस कालम में 1 लिखें अन्यथा कालम में 2 लिखें)

- कक्षा XII **उत्तीर्ण/शामिल** होने का वर्ष
- कक्षा X और XII में ग्रेड/अंक प्रतिशतता
- कक्षा XII के संस्थान का प्रकार
- **ग्रामीण/शहरी** क्षेत्र से संबंध
- राज्य जिससे आवेदक संबंधित है **परिशिष्ट – IV** देखें
- अर्हक परीक्षा कोड संदर्भ {9(9.5)}
- स्कूल शिक्षा बोर्ड **परिशिष्ट – V** देखें
- परीक्षा केन्द्र की पंसद/विकल्प **परिशिष्ट – I** देखें
- कॉलेज की पंसद/विकल्प परिशिष्ट– **IX** देखें।

(xii) **जन्म तिथि :**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज अनुसार तथा अंग्रेजी कलेण्डर के अनुसार जन्म की तिथि, माह तथा वर्ष लिखें।

(xiii) **जम्मू–कश्मीर और आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों को 15% अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए {9(9.4iii)} में दर्शाए गए अनुसार एक शपथ–पत्र देना अपेक्षित है। परिशिष्ट – II**

(xiv) **फोटोग्राफः**

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे सफेद बैकग्राउंड वाले पासपोर्ट आकार के 8–10 फोटोग्राफ तथा पोस्टकार्ड आकार (3 1/2'' x 5'') का एक फोटो बनवा लें।

पासपोर्ट आकार के फोटो का प्रयोग कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए आवेदन–पत्र (पुष्टिकरण पृष्ठ) पर चिपकाने और काउंसलिंग/प्रवेश के लिए किया जाएगा। पोस्टकार्ड आकार का फोटो एनईईटी–यूजी परीक्षा के दौरान केन्द्र अधीक्षक द्वारा केन्द्र पर उम्मीदवारों से ले लिया जाएगा। पुष्टिकरण पृष्ठ पर फोटो चिपकाने से पूर्व उम्मीदवार दोनों फोटोग्राफों की पिछली ओर केवल बॉल पॉइंट पेन से अपना नाम, आवेदन पत्र संख्या और संपर्क नम्बर अवश्य लिखेंगे। पुष्टिकरण पृष्ठ पर फोटोग्राफ के लिए निर्दिष्ट स्थान पर सफेद बैकग्राउंड वाले स्टूडियो में लिए गए अच्छी क्वालिटी के दो नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ चिपकाए जाएं, जिनमें से एक फोटोग्राफ सत्यापित किया गया हो तथा दूसरा सत्यापित रहित होगा। फोटोग्राफ 01.11.2012 को अथवा उसके बाद लिया गया होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार के नाम के साथ फोटोग्राफ लिए जाने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई गई होगी। फोटोग्राफ में टोपी अथवा धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ होना चाहिए।

KAMAL KUMAR
01.11.2012

नज़र के चश्मे की अनुमति है, यदि उसे नियमित रूप से पहना जाता है। **पोलारॉइड और कम्प्यूटर से बनाए गए फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं हैं।** फोटो को संस्था के प्रधानाचार्य/प्रमुख द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस प्रकार सत्यापित कराया जाना चाहिए कि सत्यापन करने वाले अधिकारी के आधे हस्ताक्षर फोटो पर और शेष आवेदन–पत्र पर हों। सत्यापन फोटो के निचले भाग पर किया जाना चाहिए ताकि फोटो विकृत न हो। फोटोग्राफों को आवेदन–पत्र पर गोंद/फेवीकोल से भली–भांति चिपकाया जाना चाहिए और उन्हें पिन से नहीं लगाया जाना चाहिए/स्टेपल नहीं किया जाना चाहिए। **इन अनुदेशों को पालन न करने वाले अथवा अस्पष्ट फोटो वाले आवेदनों को अस्वीकृत किया जा सकता है।** उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि यदि यह पाया गया कि चिपकाया गया फोटोग्राफ बनाया गया है अर्थात वह सही आकार का नहीं है अथवा हाथ से तैयार किया गया या कम्प्यूटर द्वारा निर्मित है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना माना जाएगा तथा इस पर तदनुसार अनुचित साधनों के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(xv) **उम्मीदवारों को पुष्टिकरण पृष्ठ में उपयुक्त बॉक्स में अपने हस्ताक्षर निरंतर लिखाई में करना और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप इसके लिए उपलब्ध कराए गए स्थान पर लगाना अपेक्षित है। बॉक्स में बड़े अक्षरों में अपना पूरा नाम लिखने को हस्ताक्षर नहीं माना जाएगा तथा आवेदन–पत्र अस्वीकृत किए जाने का दायी होगा। इसके अलावा, हस्ताक्षररहित आवेदन/स्पष्ट अंगूठे की छाप रहित आवेदन भी अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।**

(xvi) उम्मीदवार को अपने आवेदन–पत्र तथा उसके अनुलग्नकों, यदि कोई हैं, को मज़बूती के साथ बांधना/स्टेपल करना चाहिए। कृपया ए5 आकार के अच्छी क्वालिटी के लिफाफे का प्रयोग करें तथा कम्प्यूटर द्वारा सर्जित की गई पते की पर्ची को चिपकाएं।

(xvii) आवेदन–पत्र में भरे गए किसी विवरण में परिवर्तन करने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(xviii) **अधूरे आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

(xix) **एक से अधिक आवेदन–पत्रों का प्रस्तुत किया जाना**

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे केवल एक ही आवेदन–पत्र भरें। तथापि, यदि सीबीएसई द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों की पूर्ति के लिए दूसरा आवेदन–पत्र भरना आवश्यक हो जाता है, तो बोर्ड द्वारा आसानी से पहचान किए जाने के लिए दूसरे आवेदन–पत्र के शीर्ष पर पहले वाले आवेदन की ऑनलाइन आवेदन–पत्र पंजिकरण संख्या तथा दूसरा आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के कारण को लाल स्याही से लिखा जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार ऊपर निर्दिष्ट किए गए के अलावा, एक से अधिक आवेदन–पत्र भेजता है, तो उसकी उम्मीदवारी अस्वीकृत किए जाने के लिए दायी होगी।

(xx) **शुल्क सहित आवेदन–पत्र की प्राप्ति की पुष्टि**

सीबीएसई में शुल्क सहित आवेदन–पत्र की पुष्टि प्राप्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्शाई जाएगी। आवेदन–पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख से 15 दिन के भीतर बोर्ड को प्राप्त हुए सभी आवेदन–पत्रों/पुष्टिकरण पृष्ठों की पुष्टि को वेबसाइट पर दर्शाने के प्रयास किए जाएंगे। सीबीएसई द्वारा सभी आवेदन–पत्रों के विवरणों को वेबसाइट पर दर्शाए जाने के पश्चात, उम्मीदवार अपने आवेदन–पत्रों की स्थिति की जांच करेंगे। यदि किसी उम्मीदवार ने स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन–पत्र भेजा है तथा बोर्ड की वेबसाइट पर उसके आवेदन–पत्र की संख्या के सामने 'आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है' सूचना दर्शाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को परामर्श दिया

जाता है कि वे वेबसाइट पर जानकारी को डाले जाने की तारीख से 07 दिन के भीतर बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेज इस प्रकार भेजें ताकि बोर्ड को उसकी सुपुर्दगी के विषय में सुनिश्चित किया जा सके :

क) भरे गए ऑनलाइन आवेदन–पत्र के कम्प्यूटर–सर्जित पृष्ठ की एक प्रति (उम्मीदवार द्वारा रखी गई चार प्रतियों में से), उस पर उसी प्रकार फोटोग्राफ लगाने तथा फोटो और आवेदन–पत्र को उसी प्रकार सत्यापित करने के पश्चात, जैसा पूर्व आवेदन–पत्र के मामले में किया गया था।

ख) आवेदन–पत्र को प्रेषित करने के लिए डाकघर द्वारा जारी की गई मूल रसीद।

ग) भुगतान किए गए शुल्क का प्रमाण (चालान की फोटोप्रति, यदि शुल्क बैंक के माध्यम से प्रेषित किया गया है/कार्ड के विवरण की प्रति यदि शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड से किया गया है)। **यदि शुल्क बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उम्मीदवार को शुल्क का भुगतान दोबारा करने के लिए कहा जाएगा।**

वेबसाइट पर सूचना दिए जाने की तिथि से 07 दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात सीबीएसई द्वारा आवेदन–पत्र की प्राप्ति न होने के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे भरे गए ऑनलाइन आवेदन–पत्र के कम्प्यूटर–सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ शुल्क प्रेषण करने के प्रमाण की फोटोप्रति तथा बोर्ड को आवेदन–पत्र प्रेषित करने के संबंध में डाकघर द्वारा जारी की गई मूल रसीद को अपने पास संभाल कर रखे।

(xxi) **प्रवेश–पत्र**

सीबीएसई एनईईटी परीक्षा के प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की सुविधा बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदान करेगा। उम्मीदवारों से वेबसाइट से प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने तथा उसमें दिए गए अनुदेशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि प्रवेश–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। प्रवेश–पत्र डाले जाने की समय–सारणी इस प्रकार है:

– विलम्ब शुल्क रहित आवेदन : 01.04.2013

– विलम्ब शुल्क सहित आवेदन : 10.04.2013

प्रवेश–पत्र में उम्मीदवार का रोल नम्बर, नाम, पिता का नाम, श्रेणी, उप–श्रेणी, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जन्म–तिथि, प्रश्न–पत्र की भाषा और आवंटित किए गए एनईईटी

परीक्षा केन्द्र का नाम और पते का उल्लेख होगा। उम्मीदवार को उसके द्वारा डाउनलोड किए गए प्रवेश–पत्र में की गई प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए। उनमें कोई विसंगति होने की स्थिति में उम्मीदवार को तत्काल बोर्ड को सूचित करना चाहिए। **ऐसे मामले में, उम्मीदवार पहले ही डाउनलोड किए जा चुके प्रवेश–पत्र के साथ परीक्षा में बैठेंगे।** तथापि, बोर्ड बाद में अभिलेखों में शुद्धि करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

- **किसी भी स्थिति में एनईईटी के लिए डुप्लीकेट प्रवेश–पत्र परीक्षा केन्द्रों पर जारी नहीं किए जाएंगे।**
- **उम्मीदवारों को प्रवेश–पत्र को तोड़ना–मरोड़ना नहीं चाहिए अथवा उसमें की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए।**
- **उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश–प्रक्रिया के समाप्त होने तक अपने प्रवेश–पत्रों को उचित अवस्था में संभाल कर रखें।**
- **उम्मीदवारों को नवीनतम जानकारी के लिए एनईईटी–यूजी की वेबसाइट के संपर्क में रहने और नियमित रूप से अपने ई–मेल की जांच करने की सलाह दी जाती है।**

15. परीक्षा हॉल में अनुपालन किए जाने वाले अनुदेश

15.1 सामान्य :

(i) परीक्षा हॉल परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व खोला जाएगा। उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे परीक्षा हॉल के खुलने के पश्चात तत्काल अपनी सीटों पर बैठ जाएं। यदि उम्मीदवार समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो वे परीक्षा हॉल में घोषित किए जाने वाले कुछ सामान्य अनुदेशों को सुनने से वंचित हो सकते हैं।

(ii) उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए मांगे जाने पर प्रवेश–पत्र दिखाना आवश्यक है। जिस उम्मीदवार के पास वैध प्रवेश–पत्र नहीं होगा, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) परीक्षा के समय के दौरान, निरीक्षक प्रत्येक उम्मीदवार की पहचान के विषय में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश–पत्रों की जांच करेंगे। निरीक्षक उत्तर–पुस्तिका की साइड–1 पर उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

(iv) प्रत्येक उम्मीदवार को उसका रोल नम्बर दर्शाने वाली सीट आवंटित की जाएगी। उम्मीदवारों को उनके लिए आवंटित की गई सीट को ढूंढ कर उस पर बैठ जाना

चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार उसके लिए आवंटित सीट अथवा कक्ष के अलावा किसी अन्य सीट अथवा कक्ष से परीक्षा देता हुआ पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(v) **परीक्षा के आरंभ होने के उपरांत आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(vi) उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के भीतर प्रवेश–पत्र के अलावा कोई भी मुद्रित अथवा लिखित पाठ्य–सामग्री, कागज के टुकड़े, लिफाफे अथवा अन्य कोई भी सामग्री लाने की अनुमति नहीं है।

(vii) **परीक्षा हॉल के भीतर कैलकुलेटर, स्लाइड–रूल्स, लॉग टेबल, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर की सुविधा वाली डिजिटल घडियां, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं है।**

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने स्वयं के हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल सहित कोई अन्य निषिद्ध उपकरण लेकर न आएं क्योंकि इनकी सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

(viii) कोई भी उम्मीदवार, नियत सारणी अनुसार परीक्षा समाप्त होने तक अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष/हॉल नहीं छोड़ेगा। उम्मीदवार को ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक को अपनी उत्तर–पुस्तिका सौंपे बिना कक्ष/हॉल नहीं छोड़ना चाहिए। आपात स्थिति में अथवा चिकित्सा आधार पर उम्मीदवार केन्द्र अधीक्षक और ड्यूटी पर तैनात प्रेक्षक की विशेष अनुमति ले सकता है और इसकी सूचना केन्द्र अधीक्षक और प्रेक्षक द्वारा बोर्ड को लिखित में दी जाएगी।

(ix) उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने साथ एक कार्ड–बोर्ड अथवा एक क्लिप–बोर्ड लेकर आएं ताकि यदि परीक्षा हॉल में उन्हें उपलब्ध कराई गई मेजों की सतह समतल न हो, तो भी उन्हें उत्तर–पुस्तिका में उत्तर लिखने में कोई कठिनाई न आए। उन्हें अपने साथ अच्छी क्वालिटी के बॉल पॉइंट पेन भी लेकर आना चाहिए। ये बोर्ड द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।

(x) परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में धूम्रपान करना सख्त मना है।

(xi) परीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा परीक्षा हॉल में चाय, कॉफी, शीतल पेय अथवा जलपान ले जाने की अनुमति नहीं है।

(xii) परीक्षा प्रवेश–पत्र में उल्लिखित समय पर आरंभ हो जाएगी तथा निरीक्षक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी।

(xiii) परीक्षा आरंभ होने पर तथा आधा समय समाप्त हो जाने पर एक संकेत दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने से पूर्व भी एक संकेत दिया जाएगा, जब उम्मीदवार उत्तरों की मार्किंग करना बंद कर देंगे।

(xiv) उम्मीदवार को उपस्थिति–शीट में उपयुक्त स्थान पर दो बार हस्ताक्षर करेगा। पहली बार परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद तथा दूसरी बार निरीक्षक को उत्तर–पुस्तिका सौंपने के समय। उम्मीदवार के लिए अपेक्षित है कि वह उपस्थिति–शीट में उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाए ।

(xv) **जो उम्मीदवार किसी कारण से परीक्षा की निर्धारित तारीख को परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहे हैं, उनके लिए बोर्ड द्वारा किसी भी परिस्थिति में पुनःपरीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।**

(xvi) **अनुचित साधनों का प्रयोग तथा परीक्षा के नियमों का उल्लंघन**

(क) अनुचित साधनों का प्रयोग एक ऐसा क्रियाकलाप है जो किसी उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुचित लाभ हासिल करने में समर्थ बनाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु यह इन तक सीमित नहीं हैं:

- ❖ संबंधित पेपर में परीक्षा से संबंधित कागज़, पुस्तकें, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा कोई अन्य सामग्री या सूचना रखना;
- ❖ परीक्षा देने (छद्म उम्मीदवार) या सामग्री तैयार करने के लिए किसी व्यक्ति को भुगतान करना;
- ❖ परीक्षा नियमों का उल्लंघन करना;
- ❖ कदाचार में शामिल होने के लिए किसी अन्य उम्मीदवार की सहायता करना; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की सहायता देना या प्राप्त करना या ऐसा करने का प्रयास करना;
- ❖ केन्द्र अधीक्षक द्वारा उत्तर लिखने के लिए दी गई उत्तर पुस्तिकाओं के अलावा किसी अन्य सामग्री पर प्रश्न या उत्तर लिखना;
- ❖ उत्तर–पुस्तिका को फाड़ना, प्रश्न–पुस्तिका से किसी पृष्ठ को फाड़ना;
- ❖ परीक्षा केन्द्र में परीक्षा समय के दौरान परीक्षा से संबंधित कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करना या बातचीत करना या ऐसा करने का प्रयास करना;
- ❖ परीक्षा हॉल/कक्ष से उत्तर–पुस्तिका बाहर ले जाना।

- ❖ प्रश्न–पत्र या उसके किसी भाग को बाहर भिजवाना अथवा उत्तर–पुस्तिका या उसके किसी भाग को बाहर भिजवाना।
- ❖ परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी कर्मी को धमकी देना अथवा किसी उम्मीदवार को धमकी देना;
- ❖ परीक्षा से संबंधित किसी अन्य अवांछनीय पद्धति अथवा साधन का प्रयोग करना अथवा प्रयोग करने का प्रयास करना;
- ❖ ऑनलाइन दस्तावेजों अर्थात प्रवेश–पत्र, रैंक पत्र आदि में छेड़छाड़ करना अथवा जालसाजी करना;
- ❖ गलत आशय के साथ परीक्षा हॉल में बलपूर्वक प्रवेश करना; और
- ❖ आवेदन–पत्र पर जाली/फर्जी फोटोग्राफ लगाना।

(ख) अनुचित साधनों का प्रयोग करने के लिए दण्ड

परीक्षा की अवधि के दौरान, इससे पूर्व या बाद में, यदि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त में से किसी भी अथवा इसी प्रकार के अन्य व्यवहारों में संलिप्त पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, तथा उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के रूप में निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। **ऐसे उम्मीदवार को भविष्य में यह परीक्षा देने से स्थायी रूप से विवर्जित कर दिया जाएगा तथा वह आपराधिक कार्रवाई और/अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई किए जाने के लिए भी दायी होगा, जो बोर्ड उपयुक्त समझे।**

(ग) उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात निरीक्षकों को उत्तर–पुस्तिकाएं सौंप दी हैं तथा उपस्थिति–शीट में दूसरी बार हस्ताक्षर कर दिए हैं। यदि कोई उम्मीदवार उत्तर–पुस्तिका को नहीं सौंपता है और उसे अपने साथ ले जाता है, तो इसे अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला माना जाएगा और उसके मामले पर तदनुसार कार्रवाई जाएगी।

(घ) उम्मीदवार यह जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न–पुस्तिकाओं में पृष्ठों की संख्या उतनी ही है, जितनी कि आवरण पृष्ठ के शीर्ष पर लिखी गई है।

अभिभावकों/संरक्षकों के लिए जानकारी

(xvii) अभिभावकों/संरक्षकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बालक अनुचित साधनों के किसी भी ऐसे प्रयोग/कदाचार में संलिप्त न रहें जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा के नियमों का उल्लंघन होता है। यदि कोई उम्मीदवार

ऐसे किसी कार्यकलाप में शामिल पाया जाता है, तो उसे भविष्य में परीक्षा देने से स्थायी रूप से विवर्जित कर दिया जाएगा तथा वह ऐसी आपराधिक कार्रवाई किए जाने का भी दायी होगा, जो बोर्ड उपयुक्त समझे।

(xviii) **एनईईटी परीक्षा के आयोजन की वीडियोग्राफी की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे अपने सिर को सीधी अवस्था में रखें और वीडियोग्राफी के दौरान कैमरे की ओर देखें ताकि उनकी पहचान स्पष्टतः स्थापित की जा सके।**

(xix) **उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है कि वे एनईईटी परीक्षा के दौरान अपने साथ अपना पोस्टकार्ड आकार (3 1/2'' x 5'') का फोटोग्राफ लेकर आएं।** फोटोग्राफ केवल सफेद बैकग्राउंड में लिया गया होना चाहिए। फोटोग्राफ की पिछली तरफ, उम्मीदवार को अपने नाम, आवेदन–पत्र संख्या, परीक्षा के रोल नम्बर का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। यह फोटोग्राफ परीक्षा में बैठ रहे उम्मीदवार के साथ मिलान करने के उपरांत संबंधित निरीक्षक द्वारा ले लिया जाएगा।

(xx) **उम्मीदवारों को बोर्ड को प्रेषित करने से पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र के पुष्टिकरण पृष्ठ में तथा परीक्षा हॉल में उपस्थिति पत्रक में पहचान के सत्यापन के लिए अंगूठे की स्पष्ट छाप लगाना अपेक्षित है।**

15.2 परीक्षा–पुस्तिका

(i) परीक्षा आरंभ होने से पन्द्रह मिनट पूर्व प्रत्येक उम्मीदवार को सीलबंद परीक्षा–पुस्तिका दी जाएगी।

(ii) परीक्षा–पुस्तिका प्राप्त होते ही, उम्मीदवार तत्काल परीक्षा–पुस्तिका के कवर पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल बॉल–प्वाइंट पेन से भरेंगे। उम्मीदवार तब तक परीक्षा–पुस्तिका को नहीं खोलेंगे, जब तक कि पर्यवेक्षक द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए न कहा जाए।

(iii) परीक्षा आरंभ होने से पांच मिनट पूर्व, उम्मीदवारों को परीक्षा–पुस्तिका की सील खोलने/तोड़ने के लिए कहा जाएगा। उम्मीदवार उत्तर–पत्र सावधानीपूर्वक बाहर निकालेंगे। उम्मीदवारों को सावधानीपूर्वक यह जांच करनी चाहिए कि उत्तर–पत्र की साइड–2 पर मुद्रित परीक्षा–पुस्तिका कोड वही है जैसा कि परीक्षा–पुस्तिका पर मुद्रित है। इसमें विसंगति होने की स्थिति में, उम्मीदवार को परीक्षा–पुस्तिका और उत्तर–पत्र, दोनों ही को बदलने के लिए तत्काल इस बात की सूचना पर्यवेक्षक को देनी चाहिए।

(iv) इसके बाद उम्मीदवार दोनों ओर विवरणों को बॉल–प्वाइंट पेन से लिखेगा। इस चरण को पूरा करने के पश्चात उम्मीदवार पर्यवेक्षक के संकेत की प्रतीक्षा करेगा।

(v) परीक्षा समाप्त करने के पश्चात और उत्तर–पत्र को सौंपने से पूर्व, उम्मीदवार पुनः यह जांच करेगा कि उत्तर–पत्र में अपेक्षित सभी विवरणों को सही–सही लिख लिया और मार्क कर दिया गया है।

15.3 उत्तर पत्र

(i) उत्तर–पत्र सीलबंद प्रश्न–पुस्तिका के भीतर रखी हुई मिलेगी। निरीक्षक द्वारा घोषणा किए जाने पर ही उम्मीदवार सील को तोड़ेंगे/खोलेंगे और केवल तभी उत्तर–पत्र को बाहर निकाला जाएगा। **घोषणा से पूर्व सील को न तोड़ें/खोलें।**

(ii) प्रत्येक उत्तर–पत्र की साइड–2 पर पूर्व–मुद्रित प्रश्न–पुस्तिका कोड क,ख,ग और घ होंगे। **उम्मीदवारों द्वारा यह जांच की जानी अपेक्षित है कि उत्तर–पत्र की साइड–2 पर पूर्व–मुद्रित कोड वही है, जैसाकि प्रश्न–पुस्तिका पर मुद्रित है।**

(iii) उत्तर–पत्र का फार्मेट, जो प्रश्न–पुस्तिका के भीतर रखा हुआ मिलेगा और जिसका प्रयोग प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किया जाएगा, **परिशिष्ट–VI** में दिया गया है। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे इसे भली–भांति देख लें तथा विवरण लिखने और उत्तरों की मार्किंग करने के लिए अपेक्षाओं के विषय में जान लें।

(iv) प्रयोग किए जाने वाला उत्तर–पत्र विशेष प्रकार का होगा, जिसे ऑप्टिकल स्कैनर पर स्कैन किया जाएगा। उत्तर–पत्र की दो साइडें होंगी।

(क) साइड 1 उत्तर–पत्र की इस साइड में निम्नलिखित कॉलम होंगे जिन्हें उम्मीदवार द्वारा केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से साफ–साफ और सही–सही भरा जाना है। **ओएमआर शीट पर पेंसिल के प्रयोग की अनुमति नहीं है। पेंसिल से भरी गई ओएमआर शीट को मूल्यांकन के लिए सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

(i) रोल नम्बर

(ii) उम्मीदवार का नाम

(iii) पिता का नाम

(iv) केन्द्र संख्या

(v) परीक्षा केन्द्र का नाम

(vi) उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(ख) साइड 2 उत्तर–पत्र की इस साइड में निम्नलिखित कॉलम होंगे जिन्हें उम्मीदवार द्वारा **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** से ही भरा जाना है:

(i) रोल नम्बर

(ii) केन्द्र संख्या

(iii) प्रश्न–पुस्तिका संख्या

(iv) प्रश्न 001 से 180

प्रत्येक कॉलम प्रश्न–पुस्तिका में दिए गए प्रश्न की क्रम संख्या के अनुरूप है। प्रत्येक कॉलम के साथ चार वृत्त दिए गए हैं जो चार वैकल्पिक उत्तरों के अनुरूप हैं, जिनमें से एक सही अथवा सर्वाधिक उपयुक्त है।

(v) **साइड–2 पर विवरणों और उत्तरों को केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से लिखना**

रोल नम्बर – अपना रोल नम्बर उत्तर–पत्र के नमूने के अनुसार लिखें। उदाहरण के लिए रोल नं0 0214057.

केन्द्र संख्या – अपनी केन्द्र संख्या उत्तर–पत्र के नमूने के अनुसार लिखें और मार्क करें। उदाहरण के लिए केन्द्र संख्या 0239.

प्रश्न–पुस्तिका संख्या – अपनी प्रश्न–पुस्तिका संख्या प्रश्न–पुस्तिका में दर्शाई गई संख्या के अनुसार लिखें और मार्क करें। उदाहरण के लिए प्रश्न–पुस्तिका संख्या 020456.

15.4 **उत्तर मार्क करने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश**

(i) उपयुक्त वृत्त को पूरी तरह से गहरा करने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। **पेंसिल से मार्क किए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।**

(ii) मार्किंग गहरी होनी चाहिए इससे वृत्त को पूरी तरह से भरा जाना चाहिए।

(iii) प्रत्येक प्रविष्टि के लिए केवल एक ही वृत्त को गहरा करें क्योंकि एक बार मार्क किया गया उत्तर बदला नहीं जा सकेगा।

(iv) हलकी और धुंधली तरह से गहरे किए गए वृत्त को मार्किंग की गलत पद्धति माना जाएगा तथा ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(v) मार्किंग केवल उपलब्ध कराए गए स्थान पर ही की जाए।

(vi) एनईईटी परीक्षा में प्रश्न सं0 001–180 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे। उम्मीदवार उपयुक्त वृत्त को बॉल पॉइंट पेन से पूरी तरह से गहरा करके अपना उत्तर दर्शाएगा। उदाहरण के लिए प्रश्न–पुस्तिका में प्रश्न संख्या 008 इस प्रकार है:

प्रश्न संख्या 008: कुतुब मीनार निम्न स्थान पर स्थित है–

(1) दिल्ली

(2) मुंबई

(3) आगरा

(4) बेंगलुरू

इस प्रश्न का सही उत्तर (1) दिल्ली है। अभ्यर्थी को उत्तर–पत्र में प्रश्न सं0 008 ढूंढना होगा तथा वृत्त को गहरा करना होगा:

008 ● (2) (3) (4)

यदि उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसे उस प्रश्न के सामने दिए गए किसी वृत्त को गहरा नहीं करना चाहिए। कृपया उत्तर–पत्र को मोड़े नहीं और उस पर कोई अवांछनीय निशान न लगाएं।

15.5 उत्तर में परिवर्तन की अनुमति नहीं है

उम्मीदवार को उपयुक्त वृत्त को गहरा करने से पहले उस उत्तर की सटीकता के विषय में स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेना चाहिए क्योंकि एक बार मार्क कर दिए गए उत्तर में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है। उत्तर–पत्र में इरेजर अथवा व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है क्योंकि उत्तर–पत्रों का मूल्यांकन मशीन द्वारा किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप गलत मूल्यांकन हो सकता है।

मार्किंग के कुछ गलत/सही तरीकों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

गलत तरीका				
021	✓	✗	3	4
022	1	✓	3	4
023	1	2	✓	●
024	1	2	3	○
025	●	✗	3	4
026	1	2	✗	4
027	1	2	•	4
028	1	•	3	●

सही तरीका				
021	●	2	3	4
022	1	●	3	4
023	1	2	●	4
024	1	2	3	●
025	●	2	3	4
026	1	2	●	4
027	1	2	●	4
028	1	2	3	●

यदि एक से अधिक वृत्तों को गहरा किया जाता है अथवा यदि उत्तर को ऊपर 'गलत तरीके' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए किसी तरीके से (अथवा किसी ऐसे ही अन्य तरीके से) गहरा किया जाता है, तो उसे मार्किंग का गलत तरीका माना जाएगा।

15.6 अंक दिया जाना

(क) **प्रत्येक मद के 4 अंक हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल अंकों में से एक अंक काटा जाएगा।** लेकिन, यदि उत्तर–पत्र में किसी मद के लिए कोई उत्तर नहीं दर्शाया गया है, तो कुल

अंकों में से कोई कटौती नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि यदि वे सही उत्तर के विषय में आश्वस्त नहीं हैं, तो वे उत्तर–पत्र में ऐसी मदों का उत्तर देने का प्रयास न करें। **किसी प्रश्न के लिए दर्शाए गए एक से अधिक उत्तरों को भी गलत उत्तर माना जाएगा तथा उसे नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।**

(ख) मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उत्तर–पत्र की साइड–2 पर मुद्रित प्रश्न–पुस्तिका कोड को अंतिम माना जाएगा।

15.7 कच्चा (रफ) कार्य

उम्मीदवार उत्तर–पत्र पर किसी भी प्रकार का कच्चा (रफ) कार्य अथवा लेखन कार्य नहीं करेंगे। समस्त कच्चा (रफ) कार्य केवल प्रश्न–पुस्तिका पर ही किया जाना है।

16. मेरिट सूची

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 तथा बीडीएस कोर्स विनियम, 2007 के अंतर्गत जारी स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में दिए गए अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए पात्रता मानदण्डों के आधार पर **एनईईटी–यूजी** परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की एक **अखिल भारतीय मेरिट सूची** तैयार करेगा। पात्रता मानदण्ड इस प्रकार हैं:

(क) किसी विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश हेतु पात्र बनने के प्रयोजनार्थ किसी उम्मीदवार के लिए उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित 'राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा' में न्यूनतम 50वे शतमक में अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, न्यूनतम अंक 40वे शतमक में होंगे। निचले अंगों की गतिक–निःशक्तता वाले सामान्य उम्मीदवारों के मामले में, न्यूनतम अंक 45वे शतमक में होंगे। प्रतिशत का निर्धारण 'एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा' में अखिल भारतीय सामान्य मेरिट सूची में हासिल किए गए उच्चतम अंकों के आधार पर किया जाएगा।

(ख) परंतु जहां किसी शैक्षणिक वर्ष में एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा में संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार यथानिर्दिष्ट न्यूनतम अंक हासिल करने में असफल रहते हैं, केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के साथ परामर्श करके अपने विवेक के अनुसार संबंधित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंकों को कम कर सकती है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक केवल उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(ग) एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए पात्र बनने के लिए किसी उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन–विज्ञान, जीव–विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी विषयों में अलग–अलग उत्तीर्ण होना चाहिए तथा स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 और बीडीएस कोर्स विनियम, 2007 में उल्लेख किए गए अनुसार अर्हता परीक्षा में भौतिकी, रसायन–विज्ञान, जीव–विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए होने चाहिए तथा इसके अलावा, एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची में भी आना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में, पात्रता परीक्षा में भौतिकी, रसायन–विज्ञान, जीव–विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी तथा प्रतियोगी परीक्षा (भौतिकी, रसायन–विज्ञान, जीव–विज्ञान) में प्राप्त किए गए अंक 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत होने चाहिए। निचले अंगों की गतिक–निःशक्तता वाले उम्मीदवारों के लिए, सामान्य–पीएच के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक, अ.जा.–पीएच / अ.ज.जा.–पीएच / अ.पि.व.–पीएच के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अपेक्षित हैं। परंतु यह कि यदि कोई उम्मीदवार पात्रता परीक्षा में बैठा है और उसका परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है, तो उसे भी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनंतिम अनुमति दी जाएगी और एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में उसका चयन हो जाने की स्थिति में उसे तब तक उस कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनुसार पात्रता मानदण्ड की पूर्ति न कर ले।

16.1 अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत 15 प्रतिशत सीटों के लिए मेरिट सूचीः

सीबीएसई द्वारा उन पात्र और सफल उम्मीदवारों, जिन्होंने 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के लिए विकल्प दिया है और जो अंग्रेजी या हिंदी में एनईईटी में शामिल हुए हैं, की एनईईटी परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में आवंटन के लिए उपलब्ध सीटों के बराबर होगी। मेरिट सूची के चार गुना के बराबर एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। सफल उम्मीदवारों की सूची (मेरिट सूची/प्रतीक्षा सूची) ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा सीटों के आवंटन के प्रयोजनार्थ महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (चिकित्सा परीक्षा प्रकोष्ठ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

16.2 राज्य कोटा के अंतर्गत सीटों के लिए मेरिट सूची

उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्रपत्र में पात्रता के राज्य कोड तथा अधिवास के संबंध में भरी गई जानकारी के आधार पर, सीबीएसई एनईईटी परीक्षा में प्रत्येक राज्य में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों की राज्य स्तरीय मेरिट सूचियां तैयार करेगा। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सफल उम्मीदवारों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान

लागू विधियों के अध्यधीन ऑनलाइन काउंसलिंग/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के माध्यम से सीटों के आबंटन के प्रयोजनार्थ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को अग्रेषित की जाएगी।

16.3 एएफएमसी तथा अन्य चिकित्सा संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के लिए मेरिट सूची

(i) एएफएमसी के लिए विकल्प देने वाले सफल उम्मीदवारों की सूची द्वितीय चरण की स्क्रीनिंग और काउंसलिंग के लिए महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

(ii) राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा–स्नातकपूर्व में पात्रता प्राप्त उम्मीदवारों की अखिल भारतीय मेरिट सूची अन्य सभी चिकित्सा संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को उनके अनुरोध के आधार पर संबंधित चिकित्सा संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के लागू नियमों के अध्यधीन काउंसलिंग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

16.4 टाई–ब्रेकिंग के लिए उम्मीदवारों की पारस्परिक–मेरिटः

➢ यदि दो अथवा अधिक उम्मीदवार **एनईईटी** में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों की पारस्परिक मेरिट निम्न अधिमान क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगीः

(क) एनईईटी में जीव–विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान) में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार।
(ख) एनईईटी में रसायन–विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार।
(ग) एनईईटी में सभी विषयों में कम संख्या में गलत उत्तर देने वाले उम्मीदवार।
(घ) अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

17. परिणामों की घोषणा

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड **एनईईटी** परीक्षा का आयोजन करेगा, उत्तर–पत्रों का मूल्यांकन करेगा तथा **जून, 2013 के प्रथम सप्ताह के अंत तक** परिणाम घोषित करेगा और यह परिणाम वेबसाइट www.cbseneet.nic.in पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। सीबीएसई भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, डीजीएचएस, एमसीआई और डीसीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार मेरिट सूची/प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग परिणाम सूची नहीं होगी। परिणाम तैयार होते ही, सीबीएसई परिणाम को वेबसाइट पर डालेगा और उसके पश्चात मेरिट/प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवार अपने रैंक–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

एनईईटी परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवार काउंसलिंग के अंतिम चरण की समाप्ति होने तक सीबीएसई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चिकित्सा सेवा निदेशालयों, संबंधित चिकित्सा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों का निरंतर अवलोकन करते रहें।

17.1 ओएमआर शीटों और उत्तरों का वेबसाइट पर प्रदर्शन

सीबीएसई परिणामों की घोषणा से पूर्व सभी उम्मीदवारों के ओएमआर उत्तर–पत्रों और मशीन द्वारा ग्रेडेड उत्तरों की इमेजों को वेबसाइट www.cbseneet.nic.in पर प्रदर्शित करेगा। उम्मीदवारों को चुनौती दिए जाने वाले प्रत्येक प्रश्न के लिए 1,000/– रु0 के भुगतान पर ओएमआर ग्रेडिंग के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि बोर्ड द्वारा उसकी चुनौती को सही मान लिया जाता है, तो उम्मीदवार को 1,000/– रु0 प्रति उत्तर की दर से राशि वापस कर दी जाएगी।

17.2 उत्तर–पत्रों की पुनःजांच/पुनःमूल्यांकन के लिए नियम

मशीन द्वारा मूल्यांकित उत्तर–पत्रों का मूल्यांकन अत्यंत सावधानी के साथ किया जाता है तथा उसकी बार–बार संवीक्षा की जाती है। उत्तर–पत्रों की पुनःजांच/पुनःमूल्यांकन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

17.3 विधिक क्षेत्राधिकार

परीक्षा के संचालन तथा सीटों के आवंटन से संबंधित सभी विवाद केवल दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। बोर्ड के सचिव वह विधिक व्यक्ति होंगे जिनके नाम से बोर्ड वाद चला सकेगा अथवा उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

18. अभिलेखों की छंटाई संबंधी नियम

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के अभिलेख परीक्षा के आयोजन के वर्ष के 31 अगस्त तक रखे जाते हैं।

19. काउंसलिंग के लिए अनुदेशः

19.1 15% अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए काउंसलिंग

ऑनलाइन काउंसलिंग महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग की जानकारी डीजीएचएस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। मेरिट/प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे सूचना बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को समझ

लें। काउंसलिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न को निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:

सहायक महानिदेशक (एमई)
महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं,
निर्माण भवन, नई दिल्ली–11008
दूरभाष : (काउंसलिंग केन्द्र) 011–23218750, (कार्यालय)23062493

19.2 राज्य कोटा, केन्द्रीय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों तथा एएफएमसी के अंतर्गत सीटों के लिए काउंसलिंग

राज्य कोटा अथवा केन्द्रीय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों अथवा एएफएमसी के अंतर्गत एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे संबंधित **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/संस्था/विश्वविद्यालय/एएफएमसी** के चिकित्सा सेवा निदेशालय के साथ संपर्क में रहें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/एएफएमसी के संबंधित प्राधिकारियों के डाक पते और वेबसाइटें **परिशिष्ट–VIII** में दी गई हैं। उनके नियंत्रण और निपटान के अंतर्गत सीटों की काउंसलिंग, काउंसलिंग के कार्यक्रम और काउंसलिंग के माध्यम, आदि तथा एएफएमसी द्वारा द्वितीय चरण की स्क्रीनिंग के विषय में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्था/विश्वविद्यालय/एएफएमसी के चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

19.3 प्राइवेट चिकित्सा कॉलेजों में एनआरआई/प्रबंधन कोटे के अंतर्गत सीटों के लिए काउंसलिंग

प्राइवेट चिकित्सा कॉलेजों में एनआरआई/प्रबंधन कोटे की सीटों के अंतर्गत एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे संबंधित काउंसलिंग प्राधिकारी/संस्था से संपर्क करें। एनआरआई/प्रबंधन कोटे की सीटों के अंतर्गत प्रवेश संस्था के नियमों और विनियमों तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नियमों के अध्यधीन है।

कृपया ध्यान दें : एनईईटी–यूजी–2013 सूचना बुलेटिन के इस हिंदी संस्करण में किसी अस्पष्टता की स्थिति में इसके अंग्रेजी संस्करण को ही सही माना जाएगा।